

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

संख्या- 1160 / 43-06पार्ट02(2010-11) दिनांक रुद्रप्रयाग 28 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जनपद रुद्रप्रयाग अर्न्तगत सर्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर से ऑन लाइन जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र जो कि डिजिटली हस्ताक्षरित होते हैं, पर मोहर भी लगायी जा रही है। जबकि डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर मोहर लगाया जाना आवश्यक नहीं है।


अतः इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि ई डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित कार्यालय/विभाग की मोहर लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को <https://www.edistrict.uk.gov.in> पर आवेदन संख्या डालकर Verify किया जा सकता है।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
डी0ई0जी0एस0, रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ प्रेषित।

- 1- समस्त कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0)।


जिलाधिकारी / अध्यक्ष
डी0ई0जी0एस0, रुद्रप्रयाग

306
17/11/2015

प्रेषक,

आलोक कुमार सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

विषय:-देवभूमि जनसेवा केन्द्रों (ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर) के राज्यव्यापी रोल आउट के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

देवभूमि जनसेवा केन्द्रों (ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर) के राज्यव्यापी रोल आउट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित किये जा रहे सॉफ्टवेयर में राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत देवभूमि सूचना केन्द्रों के माध्यम से जनसामान्य को समयबद्ध रूप से प्रदान की जा रही 08 सेवाओं से सम्बन्धित प्रक्रिया व प्रारूप एवं अन्य विविध पक्षों को विकसित किये जा रहे सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट किये जाने के प्रायोजन से प्रकरण में राजस्व परिषद द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आख्या/सूचना पत्र के साथ संलग्नक कर आपको प्रेषित की जा रही है।

2- इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाली 08 सेवाओं के प्रमाण पत्रों के प्रारूप के शीर्ष में उत्तराखण्ड शासन के स्थान पर विकसित किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में उत्तराखण्ड सरकार अंकित किये जाने के सम्बन्ध में भी यथावश्यक तकनीकी संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

AOK

(आलोक कुमार सिंह)

अनुसचिव

संख्या- /XVIII(1)/2015 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में विकसित किये जा रहे सॉफ्टवेयर में राजस्व विभाग की सेवाओं को सफलतापूर्वक इन्टीग्रेट किये जाने हेतु तकनीकी पक्ष में सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ सहयोग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)

अनुसचिव

13/12/15

रक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषय- देवभूमि जन सेवा केन्द्रों(ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर) के राज्यव्यापी रोल आउट प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। दिनांक: 08 सितम्बर, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1244/18(1)/2015-07(32)/2015 टीसी0 दिनांक अगस्त 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 12.8.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में की गई अपेक्षानुसार राज विभाग द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली 08 सेवाओं हेतु संलग्नकों एवं प्रमाण पत्रों सम्बन्ध में प्रारूप सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतएव तदक्रम में जनपदों में देव भूमि जन सेवा केन्द्रों (ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली 08 सेवाओं के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों हेतु एक रूपता बना रखने हेतु प्रमाण पत्रों के प्रारूप, प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों व विवरण/चैक बिन्दु संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

क्र० सं०	नागरिक सेवा-प्रमाण पत्र का नाम	प्रक्रिया
1	अ-स्थायी निवास प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार की संस्तुति। 3-उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
2	ब-पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/लेखपाल(राजस्व-उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-राजस्व निरीक्षक की संस्तुति। 3-तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
	स-जाति प्रमाण पत्र- 1-सामान्य जाति जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। 2-अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। 3-अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/लेखपाल(राजस्व-उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक की संस्तुति। 3-तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
	4-उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग गोरखा समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक की संस्तुति। 3-तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

3/ASUR/15
15(R)

2/1/15

9/1/15

207
4.9.15

	5-भारत सरकार की सेवाओं के लिए अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। 6-भारत सरकार की सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/ लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक की संस्तुति। 3-तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
4	आय प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक की संस्तुति। 3-तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
5	चरित्र प्रमाण पत्र- 1-चरित्रप्रमाण पत्र(ठेकेदारी हेतु)का प्रारूप संलग्न है 2-चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-संबंधित थानाध्यक्ष की जांच रिपोर्ट अथवा आवेदक राजस्व पुलिस & से संबंधित होने पर लेखपाल/पटवारी(राजस्व उप निरीक्षक व नार तहसीलदार की जांच रिपोर्ट। 2-संबंधित उप जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
6	हैसियत प्रमाण पत्र- हैसियत प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/ लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार की संस्तुति। 3-संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
7	उत्तरजीवी प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार की संस्तुति। 3-संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र- प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।	1-आवेदन पत्र पर पटवारी/ लेखपाल(राजस्व उप निरीक्षक) की जांच रिपोर्ट। 2-उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार की संस्तुति। 3-संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

अतः शासन से अनुरोध है कि संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार आवेदन, आवेदन पत्रों के प्रारूप निर्गत किये जाने वाले उपरोक्त 08 प्रमाण पत्रों के प्रारूपों के अनुमोदन व तदनुसार जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने हेतु शासन स्तर से यथोचित निर्णय लेने की कृपा करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भुवदीय,
(विजय कुमार ढौंडियाल)

आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के प संख्या 334/34-2008-15/सू०प्रौ०)2015 दिनांक 21 अगस्त 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार ढौंडियाल)

आयुक्त एवं सचिव

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों/दस्तावेजों की चैक लिस्ट-

<p>1-स्थायी निवास प्रमाण पत्र-</p>	<p>1.खतौनी की नकल अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा भूमि से संबंधित पट्टा विलेख अथवा</p> <p>2-परिवार रजिस्टर की नकल(केवल ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)</p> <p>3-जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति(हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र)</p> <p>4-निवास स्थान के संबंध में पहचान पत्र अथवा बैंक खाता,बिजली अथवा पानी का बिल (स्वयं अथवा मकान मालिक का,यदि किराये पर है तो किरायानामा सहित अथवा वोटर आई0डी अथवा आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक की प्रतिलिपि)</p> <p>*उपरोक्त में से कोई दो अभिलेख जो 15 साल से उत्तराखण्ड में निवास से संबंधित पुष्टि करता हो।</p>
<p>2-पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र-</p>	<p>1-स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति</p> <p>2-पैतृक सम्पत्ति का अभिलेख अथवा समकक्ष अन्य अभिलेख</p>
<p>3-जाति प्रमाण पत्र-</p> <p>1-सामान्य जाति जाति प्रमाण पत्र</p> <p>2-अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का</p> <p>3-अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र</p> <p>4-भारत सरकार की सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति प्रमाण पत्र।</p> <p>5-उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग गोरखा समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र</p> <p>6-भारत सरकार की सेवाओं के लिए अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र-</p>	<p>1-नकल खतौनी अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा जमीन का पट्टा विलेख की प्रति</p> <p>2-परिवार रजिस्टर की नकल(यदि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है)</p> <p>3-जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि(हाईस्कूल सार्टिफिकेट अथवा पासपोर्ट अथवा अन्य जो जन्म की पुष्टि करता हो,की प्रतिलिपि)</p> <p>4-निवास प्रमाण पत्र अथवा जाति से संबंधित अन्य अभिलेख(यदि पूर्व में परिवार के किसी व्यक्ति को उक्त प्रमाण पत्र जारी हुआ हो,की प्रतिलिपि।</p> <p>*उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>
<p>4-आय प्रमाण पत्र-</p>	<p>1-परिवार के आय के श्रोत का स्वप्रमाणित अभिलेख अथवा आय कर रिटर्न अथवा वेतन पर्ची।</p> <p>2-नकल खतौनी अथवा भूमि क रजिस्ट्री अथवा पट्टा विलेख की प्रति</p> <p>3-परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) अथवा राशन कार्ड की प्रति अथवा परिवार के सदस्यों को प्रमाणित करने वाला अन्य अभिलेख।</p> <p>*उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>
<p>5-चरित्र प्रमाण पत्र-</p> <p>1-चरित्रप्रमाण पत्र(ठेकेदारी हेतु)</p> <p>2-चरित्र प्रमाण पत्र सामान्य</p>	<p>1-निवास स्थान के संबंध में ग्राम सभा अथवा स्थानीय निकाय के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।</p> <p>2-चरित्र के सम्बन्ध में अन्य अभिलेख यदि है तो (पासपोर्ट अथवा शस्त्र लाईसेंस अथवा वोटर आई0डी0 अथवा आधार कार्ड अथवा शैक्षिक प्रमाण पत्र</p> <p>*उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>

<p>6-हैसियत प्रमाण पत्र- हैसियत प्रमाण पत्र</p>	<p>1-नकल खतौनी अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा भूमि का पट्टाविलेख 2-सम्पत्ति का मूल्यांकन अथवा भूमि-भवन का मूल्यांकन। 3-बिजली अथवा पानी का बिल अथवा भवन कर रसीद 4-वोटर आई0डी0 अथवा आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की प्रतिलिपि। *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>
<p>7-उत्तरजीवी प्रमाण पत्र-</p>	<p>1-मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। 2-नकल खतौनी अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा भूमि का पट्टाविलेख वर्तमान। 3-ग्राम सभा अथवा स्थानीय निकाय के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र(परिवार के जीवित सदस्यों के संबंध में) अथवा वर्तमान परिवार रजिस्टर की नकल। अथवा 4-निवास से संबंधित अभिलेख-यथा निवास प्रमाण पत्र,राशन कार्ड की प्रति *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>
<p>8-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र-</p>	<p>1-पेंशन आदेश/पेंशन पट्टा की प्रति 2-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण स्वरूप परिपत्र अथवा ताम्रपत्र की प्रति। 3-परिवार रजिस्टर की नकल(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) अथवा स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रति। *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>

Handwritten signature/initials

स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

1	नाम आवेदक	
2	जन्म तिथि	
3	जन्म स्थान	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	पिता का जन्म स्थान	
7	उत्तराखण्ड में कब से निवास कर रहे है	
8	स्थायी पता	
9	मोबाईल नम्बर	
10	माता/पिता/दादा/परदादा की यहाँ पैतृक सम्पत्ति है यदि हाँ तो कब से ब्यौरे के साथ	
11	क्या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे है यदि नहीं तो कहीं आजीविका उपार्जित कर रहे हैं कब से	
12	व्यवसाय	
13	क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं यदि हाँ तो किस जनपद,विभाग व पद पर	
14	स्थायी निवास प्रमाण पत्र मॉगे जाने का कारण	
15	जिला	
16	तहसील	
17	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	
18	ग्राम/वार्ड/नगर	
19	नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
20	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:- 1-खतौनी की नकल अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा भूमि से संबंधित पट्टा विलेख अथवा 2-परिवार रजिस्टर की नकल(केवल ग्रामीण क्षेत्रों हेतु) 3-जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति(हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र) 4-निवास स्थान के संबंध में पहचान पत्र अथवा बैंक खाता,बिजली अथवा पानी का बिल (स्वयं अथवा मकान मालिक का,यदि किराये पर है तो किरायानामा सहित अथवा वोटर आई0डी अथवा आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक की प्रतिलिपि) *उपरोक्त में से कोई दो अभिलेख जो 15 साल से उत्तराखण्ड में निवास से संबंधित पुष्टि करता हो।	संलग्नक 1.. 2..

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है,वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त
स्थायी निवास प्रमाण-पत्र

(शासनादेश संख्या-2588/एक-4/सा0प्रा02001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 के आधार पर जारी)

जिला :

उप जिलाधिकारी

तहसील

आवेदन पत्र संख्या :

जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

माता का नाम.....

ग्राम/मौहल्ला/वार्ड.....

तहसील.....

निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र.....

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....

जिला.....

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हैं।.....

N/A

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित मानदण्डों की भली-भांति जांच कर ली गयी है और मैं जांच से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार.....आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

N/A

ई-डिस्ट्रिक्ट :

उप जिलाधिकारी,

पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र-

1	नाम आवेदक	
2	जन्म तिथि	
3	जन्म स्थान	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	पिता का जन्म स्थान	
7	उत्तराखण्ड में कब से निवास कर रहे हैं	
8	स्थायी पता	
9	मोबाईल नम्बर	
10	माता/पिता/दादा/परदादा की यहाँ पैतृक सम्पत्ति है यदि हाँ तो कब से ब्यारे के साथ	
11	क्या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं यदि नहीं तो कहाँ आजीविका उपार्जित कर रहे हैं कब से	
12	व्यवसाय	
13	क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं यदि हाँ तो किस जनपद, विभाग व पद पर	
14	पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र माँगे जाने का कारण	
15	जिला	
16	तहसील	
17	राजस्व उप निरीक्षका क्षेत्र का नाम-	
18	ग्राम/वार्ड/नगर	
19	नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
20	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चेक लिस्ट:- 1-स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति 2-पैतृक सम्पत्ति का अभिलेख अथवा समकक्ष अन्य अभिलेख उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।	संलग्नक- 1- 2-

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

1	नाम आवेदक	
2	प्रमाण पत्र का प्रकार	
3	जन्म तिथि	
4	लिंग आवेदक	
5	पिता/पति का नाम	
6	माता का नाम	
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम	
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पिता का नाम	
9	आवेदक का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्ध	
10	ग्रामीण/शहरी	
11	मोबाईल नम्बर	
12	जिला	
	तहसील	
	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	
	ग्राम/नगर/ब्लॉक	
13	ग्राम सभा/नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
14	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:- 1-पेंशन आदेश/पेंशन पट्टा की प्रति 2-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण स्वरूप परिपत्र अथवा ताम्रपत्र की प्रति। 3-परिवार रजिस्टर की नकल(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) अथवा स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रति। *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।	संलग्नक- 1.... 2...

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र

जिला :
तहसील उप जिलाधिकारी:.....

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

उप जिलाधिकारी तहसीलदार की आख्या दिनांक के आधार पर
प्रमाणित किया जाता है कि

नाम.....
पत्नी.....
निवासी.....
तहसील.....
जिला.....

उत्तराखण्ड लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्व0सं0 सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व
सैनिकों के लिये आरक्षण अधिनियम 1993) के अनुसार श्री/श्रीमती/कु0.....
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कु0.....
उपरोक्त अधिनियम 1993 के प्राविधानों के अनुसार उक्त (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
..... के आश्रित हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

उप जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण-पत्र
(शासनादेश संख्या-256/18प्रशा0शि0-88-20(एसबी)/82 दिनांक 16.07.1982 के आधार पर जारी)

जिला :
तहसील.....

आवेदन पत्र संख्या:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
माता का नाम.....
ग्राम/मौहल्ला/वार्ड.....
तहसील.....
निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
जिला.....
उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि-

- 1- उपरोक्त सर्व क्षेत्र (गढ़वाल/कुमायूं/डोगरा/मराठा/सिक्किम) के निवासी भारत संघ के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊँचाई तथा सीने के माप में छूट के लिए विचारणीय हैं।
- 2- यह हिमांचल प्रदेश/लेह व लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों का विकास है तथा भारत संघ के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊँचाई तथा सीने के माप में छूट के लिए विचारणीय है।
- 3- यह जनजाति/आदिवासी समुदाय का है तथा भारत संघ के अर्द्ध सैनिक बलों से भर्ती हेतु ऊँचाई तथा सीने के माप में छूट के लिए विचारणीय है।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार...

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

1	नाम आवेदक	
2	जन्म तिथि	
3	लिंग आवेदक	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	जाति	
7	उप जाति	
8	प्रमाण पत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है	
9	ग्रामीण/शहरी	
10	मोबाइल नम्बर	
11	जिला	
	तहसील	
	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	
	ग्राम/वाड़/नगर	
12	ग्राम सभा/नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
13	<p>आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:-</p> <p>1-नकल खतौनी अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा जमीन का पट्टा विलेख की प्रति</p> <p>2-परिवार रजिस्टर की नकल(यदि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है)</p> <p>3-जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि(हाईस्कूल सार्टिफिकेट अथवा पासपोर्ट अथवा अन्य जो जन्म की पुष्टि करता हो,की प्रतिलिपि)</p> <p>4-निवास प्रमाण पत्र अथवा जाति से संबंधित अन्य अभिलेख(यदि पूर्वे में परिवार के किसी व्यक्ति को उक्त प्रमाण पत्र जारी हुआ हो,की प्रतिलिपि।</p> <p>*उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।</p>	<p>संलग्नक-</p> <p>1...</p> <p>2...</p>

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर.....

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
सामान्य जाति प्रमाण-पत्र

जिला :
तहसील :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....
उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हैं।.....

इनकी जाति..... उप जाति..... है, जो की सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा उनका परिवार साधारण
जिला उत्तराखण्ड राज्य में रहते हैं। यह प्रमाण पत्र राजस्व उप
निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक की आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार,

उत्तराखण्ड शासन
गर्वालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
उत्तराखण्ड प्रपरा की अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

जिला :
तहसील :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी
माता का नाम.....
निवासी ग्राम.....
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

उत्तराखण्ड प्रदेश केजाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आदेश 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है। अनुसूचित जाति/जनजाति के उ०प्र०/उत्तराखण्ड प्रदेश आदेश 1957 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा उनका परिवार उत्तराखण्ड प्रदेश के
ग्राम.....
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
नगर/जिला.....में रहता है।

यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक राजस्व उप निरीक्षक.....की जांच
आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार,

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
उत्तराखण्ड प्रदेश की अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

जिला :
तहसील :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी
माता का नाम.....
निवासी ग्राम.....
(लेखपाल) राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

उत्तराखण्ड प्रदेश कीजाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आदेश 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है। अनुसूचित जाति/जनजाति के उ०प्र०/उत्तराखण्ड प्रदेश आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा उनका परिवार उत्तराखण्ड प्रदेश के
ग्राम.....
(लेखपाल) राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
नगर/जिला.....में रहता है।

यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक..... की जांच आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार,

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
भारत सरकार की सेवाओं के लिये अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र
(वैधता अवधि एक वर्ष के लिए)

जिला :
तहसील :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
पता.....
निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र.....
(लेखपाल) राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

की उपजाति.....है। जिसे भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/68/93-बी०सी०सी०(सी) दिनांक 10.09.1993 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग एक, संख्या-186 दिनांक 13.09.1993 में प्रकाशित हुआ है। पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा उनका परिवार सामान्यता जिलाउत्तराखण्ड में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था०(अनु०जा०) दिनांक 08.09.1993 क्री अनुसूची के कालम-3 के उल्लिखित व्यक्ति/श्रेणी/(सम्पन्न वर्ग)के अन्तर्गत नहीं आता है। राजस्व निरीक्षक/ राजस्व उप निरीक्षक की आख्यानुसार निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार,

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग गोरखा समुदाय के लिए जाति प्रमाण-पत्र

जिला :
तहसील :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
माता का नाम.....
निवासी ग्राम.....
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

उत्तराखण्ड प्रदेश की गोरखा समुदाय जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1990 की अनुसूची-1 के अनुकूल संशोधित उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-3107/(1)/रा० का०/2003 दिनांक 15 नवम्बर, 2003 के अनुसार उपान्तरण आदेश संख्या-2001 की धारा-13 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा उनका परिवार उत्तराखण्ड प्रदेश के
ग्राम.....
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
नगर/जिला..... में रहता है।

यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक..... की जांच आख्या के
आधार पर निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार,

अनुबन्ध-“ख”

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिये नौकरियों में आरक्षण के सम्बन्ध में पात्रता पत्र के लिये आवेदन-पत्र।
(इस फार्म का उपयोग केवल मण्डल के रूप में किया जाये यदि अतिरिक्त मर्दे आवश्यक हो तो उन्हें फार्म में स्थानीय स्थित में अनुसार जोड़ दिया जाये)

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील व जिला

महोदय,

अनुरोध है कि मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों का आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाये। मेरे आवश्यक ब्यौरा निम्नलिखित हैं।

1. आवेदक का पूरा नाम :
 2. जन्म तिथि :
 3. घर का वर्तमान पता :
 - स्थायी पता :
-
4. धर्म :
 5. जाति :
 6. उपजाति :
 7. व्यवसायिक समूह :
 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की केन्द्रीय सूची में जाति का क्रम संख्या:.....
 9. पिता का नाम :
 10. माता का नाम :
 11. पति का नाम :
 12. माता/पिता/पति का हैसियत :-

पिता	माता	पति
(क) संवैधानिक पद :		
(ख) पद का नाम :		
(ग) सरकारी सेवायें :		
-
- | | | |
|------|------|-----|
| पिता | माता | पति |
|------|------|-----|
1. सेवा केन्द्रीय/राज्य :
 2. पद का नाम :
 3. वेतनमान वर्गीकरण सहित यदि कोई हो तो :
 4. पद पर नियुक्ति की तारीख :
 5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नौकरी जैसे :
 - यू0एन0यू0यूनिसेफ/डब्ले0एच0ओ0
 1. संगठन का नाम :
 2. पद का नाम :
 3. सेवावधि :
 - () से (तक को ता0 दर्शाये)
 4. मृत्यु स्थायी आशस्तता (यदि लागू न हो तो हटा दें) :-
 1. मृत्यु/स्थायी आशस्तता के कारण अधिकारी को सेवा से बाहर करने की तारीख :
 2. स्थायी आशस्तता के ब्यौरे :

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में रोजगार :-

1. संगठन का नाम :.....
2. पद का नाम :.....
3. पद पर नियुक्ति की तारीख :.....
4. अर्द्ध सैनिक बल सहित शस्त्र सेना/सिविल के पद धारित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं :.....
 1. पद का नाम.....
 2. वेतनमान :.....

3. व्यवसायिक श्रेणी/वर्ग/पद संख्या(ख) तथा (ग) में शामिल से निम्न तथा जो व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं।

1. व्यवसाय/पेशा :
2. सम्पत्ति :
3. कृषि जोत जिसके स्वामी माता/पिता तथा बच्चे हैं। स्थान :
4. जोत का क्षेत्र व आकार :
5. (क) सिंसिई

(सिंसिई भूमि को किस्म)

1.
2.
3.
4.
5. असिंचित.....

5. राज्य भूमि की सीमा नियमों के अधीन कानूनो ऊपरी सीमा के सन्दर्भ में सिंचित जो क्षेत्र की प्रतिशतता :

6. यदि जोत क्षेत्र सिंचित/असिंचित दोनों है जो राज्य भूमि सीमा नियमों में परिवर्तित सूत्र के आधार पर कुल सिंचित जोत क्षेत्र :

7. उपरोक्त के अनुसार कानूनी ऊपरी सीमा की तुलना में कुल सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता :

1. बागान :
2. फसले/फल :
3. स्थान :
4. बागान का क्षेत्र :

द(3) खाली भूमि और या शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में इमारते :

1. सम्पत्ति का स्थान :.....
2. सम्पत्ति का विवरण :.....
3. यह किस प्रयोग में लाई जा रही है :.....
4. आय/सम्पत्ति :.....

(1) सभी स्रोतों से वार्षिक आय पारिवारिक आय वेतनमान तथा कृषि भूमि से हुई आय को छोड़कर :.....

(2) क्या करदाता है जाँ/नहीं :.....

(3) क्या सम्पत्ति कर अधिनियम में शामिल है/नहीं यदि हाँ तो विवरण दें :.....

(ड.) अन्य कोई अभियुक्त :.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान में सही हैं तथा मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए आरक्षित पदों पर विवरण हेतु पात्र हूँ कि किसी सूचना के असत्य पाये जाने अथवा चयन के पहले या बाद अपात्र पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध कानूनी और नियमों के लिये किये गये प्राविधान के अनुसार की जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक :

प्रार्थी/प्रार्थिनी

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार

संख्या:- /ना0ना0

दिनांक:.....

भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र श्री

माता श्रीमती निवासी ग्राम/कस्बा/सोहल्ला,तहसील जिला.....
मण्डल.....राज्य उत्तराखण्ड की जाति/जन जाति का है,जो निम्नलिखित आदेश के अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जन जाति घोषित की गई है:-

- 1-संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950
- 2-संविधान अनुसूचित जन जातियों,आदेश 1950
- 3-संविधान अनुसूचित जातियों,संघ शासित क्षेत्र,आदेश 1950
- 4-संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950
- 5-अनुसूचित जातियों,संघ शासित क्षेत्र आदेश 1950
- 6-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सूची(संशोधन) आदेश 1956 बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960 पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1960
हिमाचल प्रदेश राज्य बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुर्नगठन अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित
जन जाति आदेश संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित।
- 7- संविधान जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जातियों आदेश 1956
- 8-संविधान अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जन जातियों आदेश 1959
- 9-संविधान दादर व नागर हवेली अनुसूचित जातियों आदेश 1962
- 10-संविधान पांडिचेरी अनुसूचित जातियों आदेश 1964
- 11-संविधान अनुसूचित जातियों,उत्तर प्रदेश आदेश 1967
- 12-संविधान गोवा दमन तथा द्वीप अनुसूचित जातियों आदेश 1968
- 13-संविधान गोवा दमन तथा दीप अनुसूचित जातियों आदेश 1960
- 14-संविधान गोवा नागालैण्ड अनुसूचित जातियों आदेश 1970

श्री/कु0/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....माता.....
.....श्रीमती निवासी.....तहसील.....जिला.....मण्डल.....
राज्य-उत्तराखण्ड को दिये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आधार पर जारी किया है और जो.....
जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं,जिसे उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति घोषित किया गया है।
यह प्रमाण पत्र तहसीलदार..... द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....तथा उप राज्य
निरीक्षक(लेखपाल/पटवारी)श्रीकी आख्या दिनांक के आधार पर निर्गत किया गया है।

नाम()
तहसीलदार

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र:-

1	नाम आवेदक	
2	जन्म तिथि	
3	लिंग आवेदक	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	मासिक आय अंकों में	
7	मासिक आय शब्दों में	
8	ग्रामीण/शहरी	
9	मोबाइल नम्बर	
10	जिला	
	तहसील	
	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र का नाम	
	ग्राम/वार्ड/नगर	
11	आय प्रमाण पत्र की किस प्रयोजन हेतु आवश्यकता है	
12	ग्राम सभा/नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
13	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:- 1-परिवार के आय के स्रोत का स्वप्रमाणित अभिलेख अथवा आय कर रिटर्न अथवा भूमि क रजिस्ट्री अथवा पट्टा विलेख की प्रति 2-नकल खतौनी अथवा भूमि क रजिस्ट्री अथवा पट्टा विलेख की प्रति 3-परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) अथवा राशन कार्ड की प्रति अथवा परिवार के सदस्यों को प्रमाणित करने वाला अन्य अभिलेख। *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।	संलग्नक- 1- 2-

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
आय प्रमाण-पत्र
(वैधता-केवल छः माह के लिये)

जिला :
तहसील :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
माता का नाम.....
निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

की सभी स्रोतों से मासिक आय अंकों में '.....(शब्दों में).....
मात्र रूपये हैं।
यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक..... की जांच आख्या के
आधार पर निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

तहसीलदार,

चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

1	नाम आवेदक व मोबाईल नम्बर	
2	जन्म तिथि	
3	लिंग आवेदक	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	शैक्षिक योग्यता	
7	चरित्र प्रमाण पत्र का उद्देश्य	
8	ग्रामीण/शहरी पता	
9	व्यवसाय	
10	जिला	
	तहसील	
	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/थाना क्षेत्र	
	राजस्व पुलिस क्षेत्र है तो पटवारी सर्किल का नाम	
11	ग्राम सभा/नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
12	आवेदक के विरुद्ध अपराधों का विवरण	
13	चरित्र प्रमाण पत्र की किस प्रयोजन हेतु आवश्यकता है	
14	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:- 1-निवास स्थान के संबंध में ग्राम सभा अथवा स्थानीय निकाय के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। 2-चरित्र के सम्बन्ध में अन्य अभिलेख यदि है तो (पासपोर्ट अथवा शस्त्र लाईसेंस अथवा वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड अथवा शैक्षिक प्रमाण पत्र *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।	संलग्नक- 1... 2..

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त
चरित्र प्रमाण-पत्र(सामान्य)
(वैधता-केवल छः माह के लिये)

जिला :
उप जिलाधिकारी :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

आवेदक का नाम.....
पुत्र/पुत्री.....
व्यवसाय.....
शैक्षिक योग्यता.....
स्थायी पता.....
निवासी ग्राम/नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उप निरीक्षक/थाना क्षेत्र.....
वर्तमान पता.....
तहसील.....
जिला.....

का चरित्र अच्छा है तथा अभिलेखानुसार सजायफता दर्ज नहीं है।
यह प्रमाण पत्र थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/राजस्व पुलिस अधिकारी.....
की आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

उप जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त
चरित्र प्रमाण-पत्र(ठेकेदारी हेतु)
(वैधता-केवल छः माह के लिये)

जिला :
उप जिलाधिकारी:.....

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

आवेदक का नाम
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
व्यवसाय.....
शैक्षिक योग्यता.....
स्थायी पता.....
ग्राम.....
राजस्व उप निरीक्षक/थाना क्षेत्र.....
वर्तमान पता.....
तहसील.....
जिला.....
दण्ड का विवरण

यह प्रमाण पत्र थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/राजस्व पुलिस अधिकारी/नायब तहसीलदार
.....(राजस्व पुलिस क्षेत्र).....की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया
गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

उप जिलाधिकारी,

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र-

1	नाम आवेदक	
2	जन्म तिथि	
3	लिंग आवेदक	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	हैसियत अंकों में	
7	हैसियत शब्दों में	
8	ग्रामीण/शहरी	
9	मोबाइल नम्बर	
10	जिला	
	तहसील	
	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	
	ग्राम/वार्ड/नगर	
11	ग्राम सभा/नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
12	हैसियत प्रमाण पत्र की किस प्रयोजन हेतु आवश्यकता है	
13	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:- 1- नकल खतौनी अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा भूमि का पट्टाविलेख 2- सम्पत्ति का मूल्यांकन अथवा भूमि-भवन का मूल्यांकन। 3- बिजली अथवा पानी का बिल अथवा भवन कर रसीद 4- वोटर आईडी0. अथवा आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की प्रतिलिपि। *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।	संलग्नक- 1- 2-

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त
हैसियत प्रमाण-पत्र
(वैधता-केवल छः माह के लिये)

तहसील जिला :
उप जिलाधिकारी :

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक का नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी.....
ग्राम.....
(लेखपाल) राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

की हैसियत तहसीलदार,की जांच आख्या पर समस्त स्रोतों से अंकों
में '.....(शब्दों में)..... आंकी गई है।

ई-डिस्ट्रिक्ट :

उप जिलाधिकारी,
जिलाधिकारी

उत्तरजीवी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

1-	नाम आवेदक	
2	जन्म तिथि	
3	लिंग आवेदक	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	गोबाईल नम्बर	
7	जिला	
8	तहसील	
9	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र का नाम	
10	आवेदक का मूलक से सम्बन्ध	
11	ग्राम/वार्ड/नगर	
12	मृत्यु का स्थान	
13	मृत्यु का दिनांक	
14	ग्राम सभा/नगर निकाय क्षेत्र का नाम	
15	आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण/चैक लिस्ट:- 1- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। 2- नकल खतौनी अथवा भूमि की रजिस्ट्री अथवा भूमि का पट्टाविलेख वर्तमान। 3- ग्राम सभा अथवा स्थानीय निकाय के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र(परिवार के जीवित सदस्यों के संबंध में) अथवा वर्तमान परिवार रजिस्टर की नकल। अथवा 4- निवास से संबंधित अभिलेख-यथा निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति *उपरोक्त में से दो साक्ष्य जो शासनादेश के मानक को पूरा करता हो।	संलग्नक- 1 2

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उपरोक्त विवरण अंकित किया गया है, वह सही है व मेरे द्वारा साक्ष्य स्वप्रमाणित किये गये हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त
उत्तरजीवी प्रमाण-पत्र

जिला :
तहसील उप जिलाधिकारी:

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम
तहसील जिला उत्तराखण्ड के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में
राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम से जांच करवाई गयी।
अतः राजस्व उप निरीक्षक/तहसीलदार की आख्या दिनांक
तथा तहसील के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
..... पुत्र/पत्नी/पुत्री निवासी ग्राम
तहसील जिला उत्तराखण्ड की मृत्यु दिनांक
को हो चुकी है और निम्नलिखित उत्तरजीवी है।

क्र०सं०	नाम	मृतक का सम्बन्ध
1.		उभ्र
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

के.ए. आर.डी.

यशर 31/05/12 34 डिग्री 31/05/12